न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–3,अमरोहा।
सत्र परीक्षण संख्या 408/2015 अ0सं0 231/2015
राज्य बनाम शंकर सिंह
थाना हसनपुर

दिनांक 10.08.2021:–

पत्रावली पेश हुई । पत्रावली आज प्रार्थना पत्र का0सं0 26बी अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है। विगत तिथि पर प्रार्थना पत्र 319 दं0प्र0सं0 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी/वादी करतार पुत्र टीकाराम द्वारा प्रार्थना पत्र 26बी अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह उक्त सत्र परीक्षण में मुकदमा वादी है। उसने थाना हसनपुर में दिनांक 01.05.2015 को अभियुक्तगण शंकर , विरेन्द्र व अंकित के विरूद्ध एन0सी0आर0 सं0 114/15 धारा 323,504 भा0दं0सं0 पंजीकृत करायी थी। प्रार्थी के भाई अमन की गंभीर हालत देखते हुए डाक्टरो ने उसे मेरठ रेफर कर दिया था उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी। विवेचक ने वादी करतार सिंह तथा मजरूब श्रीमति रेखा तथा अमन के धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित किये गये तीनों के बयानों में अभियुक्तगण शंकर, विरेन्द्र तथा अंकित के नाम घटना कारित करने में आये है, परन्तु थाना हाजा पुलिस ने मुल्जिमान से हमसाज होकर मुल्जिम अंकित व विरेन्द्र को नफा नाजयज पहुंचाने के उद्देश्य से विवेचना से नाम निकाल दिये तथा मात्र शंकर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। उक्त सत्र परीक्षण में न्यायालय में वादी व दोनों मजरूब के बयान पी0डब्लू0–1 करतार सिंह, पी0डब्लू0–2 श्रीमति रेखा तथा पी0डब्लू0–3 अमन के बयान हो चुके है, तीनों ने अपने बयानों में अभियुक्तगण शंकर , विरेन्द्र, अंकित द्वारा मारपीट कर घटना कारित करना बताया है। अतः अभियुक्तगण विरेन्द्र व अंकित को तलब करने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त शंकर की तरफ से आपत्ति का0सं0 27बी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि सूचनादाता द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र पूर्णतयः गलत एवं निराधार है तथा मुकदमे के निस्तारण में विलम्ब कारित करने के इरादे से दिया गया है।कथित चुटैल अमन के एक मात्र चोट दर्शायी गयी है जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा पहुंचाया जाना सम्भव नहीं है। साक्षियों द्वारा दिये गये अपुष्ट बयानों के आधार पर नये अभियुक्तगण को तलब

Digitally signed by Sanjai Veer Singh
Date: 2021.08.10 16:36:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करना न्यायसंगत नहीं होगा । किसी भी साक्षी ने पुलिस को दिये गये अपने धारा 161द0प्र0सं0 के बयानों में ना तो अपूर्ण बताया है और न ही गलत बताया है और उसमें विरेन्द्र व अंकित के द्वारा घटना कारित करना नहीं बताया है। अतः वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में शंकर, विरेन्द्र व अंकित सभी के द्वारा श्रीमति रेखा एवं अमन के साथ लाठी डन्डों से मारपीट करना बताया गया है। विवेचना के दौरान विवेचक ने केवल अभियुक्त शंकर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है। बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में भी उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण शंकर, विरेन्द्र व अंकित के द्वारा घटना कारित करना कहा है। उपरोक्त के आधार पर विरेन्द्र व अंकित को न्यायहित में अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु तलब किया जाना आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

मुकदमा वादी करतार सिंह ने दिनांक 04.05.2015 को थाना हसनपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण शंकर, विरेन्द्र एवं अंकित के विरूद्ध दर्ज करायी थी। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र केवल अभियुक्त शंकर पुत्र मेवाराम के विरूद्ध धारा 323,308,504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है। आरोप विरचित होने के उपरांत पी0डब्लू0–1 करतार सिंह मुकदमा वादी ने अपने बयान में अमन व श्रीमति रेखा को तीनों अभियुक्तगण शंकर, विरेन्द्र एवं अंकित द्वारा लाठी डन्डों से मारना पीटना कहा गया है, जिसका समर्थन स्वयं चुटैल साक्षी पी0डब्लू0–2 श्रीमति रेखा एवं पी0डब्लू0–3 अमन ने अपनी मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीनों गवाहों ने तीनों मुल्जिमान की घटना में संलिप्तता का तथ्य प्रस्तुत किया है।

धारा 319 दं0प्र0सं0 के तहत यह प्राविधान है कि– (1) जहॉ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नही है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है,वहॉ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध

के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है,कार्यवाही कर सकता है।

(2) जहॉ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नही है वहॉ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार,गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्याालय की विधि व्यवस्था Hardeep singh Vs. State of punjab ,2014 Cri. L J 1116(SC) में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि– Power under Section 319, can be exercised at the stage of Completion of examination in chief and Court does not need to wait till the said evidence is tested in cross- examination for it is the satisfaction of the Court which can be gathered from the reason recorded by Court, in respect of complicity of some other person (s) not facing the trial in the offence .

विधि व्यवस्था Krishnappa Vs. State of Karnataka 2004 Supreme Court Cases (Cri) 2093 के वाद में यह अभिमत व्यक्त किया है कि The power to summon an accused is an extraordinary power conferred on the court. It is discretionary and should be used very sparingly and if compelling reasons exist for taking cognizance against the other person against whom action has not been taken. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि धारा 319 दं0प्र0सं0 के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक होना चाहिए । प्रस्तुत मामले तीन अभियुक्तगण में से दो अभियुक्तगण के नाम निकाल दिये जिन अभियुक्तगण के नाम निकाले गये उनकी साक्षी पी0डब्लू0–1 करतार सिंह पी0डब्लू0–2 श्रीमति रेखा व पी0डब्लू0–3 अमन के बयान के आधार पर व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित प्रतीत होती है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष है कि घटना कारित में अभियुक्त शंकर के साथ साथ अभियुक्तगण विरेन्द्र एवं अंकित की संलिप्तता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है तथा इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य से उन्हें तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा हैतथा अभियुक्तगण विरेन्द्र एवं अंकित धारा308,323,504भा0दं0सं0

के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाते हुए विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/वादी करतार सिंह का प्रार्थना पत्र का0सं0 26बी अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है । अभियुक्तगण विरेन्द्र पुत्र शंकर, अंकित पुत्र शंकर निवासीगण ग्राम मछरई थाना हसनपुर जिला अमरोहा को धारा 323,308,504 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के विचारण हेतु बजरिये सम्मन तलब किया जाता है। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 26.08.2021 को पेश हो।

एस0डी0/–

(संजय वीर सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–3,

अमरोहा।

10.08.2021